रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934
No. 2177] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2624(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988(1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 465(अ), तारीख 26/04/2002 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 के 0.00 कि.मी. से 365.57 कि.मी. तक (लखनऊ - फैजाबाद-गोरखपुर-उत्तर प्रदेश/बिहार खण्ड) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28 के 0.000 कि.मी. से 32.270 कि.मी. (वर्तमान चेनेज कि.मी. 252.860 से कि.मी. 279.800) तक के खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसमें इसके बाद आधार दर विनिर्दिष्ट किया गया है) पर, और पचास करोड़ रूपए या इससे अधिक को लागत वाले पुलों / संरचनाओं के लिए सारणी 2 में निर्दिष्ट आधार दर पर, तथा दस करोड़ रूपए या अधिक की लागत वाले बाइपासों के लिए नीचे सारणी 1 के कालम में निर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों पर आधार फीस के डेढ़ गुना की दर पर फीस लगाती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से उक्त फीस का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

4145 GI/2012

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर फीस की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहन यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं. म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.या.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
विशाल आकार वाले यान (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा)						
स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत (करोड़ रुपये में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक यान	भारी निर्माण मशीनरी, अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार का यान
10 से 15	. 5	7.50	15	16.50	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	3.30	4.50	6

प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

टिप्पण :

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत फीस देय और ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर भुगतानयोग्य होगा :

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. म) जिसके लिए फीस संदेय है**
3.500 कि.मी (गोरखपुर जिले में तेंदूआ गॉव के पास)	–

2. उपरिलिखित के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की लम्बाई के लिए आधार दर के डेढ़ गुना पर ऐसे टोल प्लाजा पर 10 करोड़ या उससे अधिक लागत वाले निम्नलिखित बाइपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगा।

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चेनेज)	**बाइपास की लम्बाई(कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**
3.500 कि.मी (गोरखपुर जिले में तेंदूआ गॉव के पास)	31.295

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (लों) / सुरंग (गों) के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे दी गई है निम्नलिखित फीस टोल प्लाजा (ओं) पर शोध्य और संदेय होगी ।

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**पुल की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त फीस संदेय है**	
	लम्बाई	**लागत**
3.500 कि.मी (गोरखपुर जिले में तेंदूआ गॉव के पास)	0.975 कि. मी.	58.65 करोड़ रू0

4. वर्ष 2012-13 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के लिए मासिक पास की दर 200.00/- रूपए (दो सौ रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण औरं संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अध्यधीन है ।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जायेगा, अर्थात्

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में फीस प्लाजा पड़ता है उस जिले में रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक यान (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के यान के लिए निर्धारित फीस का 50% होगी बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक यानों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक रोड उपलब्ध न हो ।

7. यांत्रिक यान जो नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर फीस का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च प्रवर्ग के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए ।

8. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए फीस की दरों को दर्शित किया जाएगा ।

10. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, फीस की दरों में वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा परन्तु छह मास के भीतर कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

11. परियोजना की आंकलित पूंजीगत लागत 600.24 करोड़ रूपए है । प्राधिकरण द्वारा उपयोक्ताओं से वसूल की गई फीस के माध्यम से पूंजीगत लागत की वसूली का अभिलेख रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद उद्ग्रहणीय फीस की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें वार्षिक रूप से पुनरीक्षण किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/684/10-11/सीओ/जीसी-गोरखपुर बाईपास]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2012

S.O. 2624(E).—Whereas by notification of the Government of India in the *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O. 465 (E), dated *26/04/2002*, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 365.570 [Lucknow – Faizabad – Gorakhpur – Uttar Pradesh/ Bihar Border Section] of National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said Rules") , the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty Crore or more and at one and one half times the base rate for bypasses costing Rupees ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 and 2 below, for the use of the section from kilometer 0.000 to kilometer 32.270 (existing chainage km 252.860 to km 279.800) on the National Highway No. 28 in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

4145 GI/12-2

Table 2

"Base rate of fee (Rupees per vehicle per trip)						
Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in Crore)	**Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle**	**Light Commer-cial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus**	**Truck or Bus**	**Three-axle commer-cial vehicles**	**Heavy construct-ion Machinery, Earth moving equip-ment or multi axle vehicle**	**Over-sized Vehicle**
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen Crore and up to Rupees one hundred Crore.	1	1.50	3	3.30	4.50	6
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred Crore and upto Rupees two hundred Crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five Crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred Crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
km 3.500 (near Tendua village in Gorakhpur district)	--------

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs 10 Crore or more at the following Toll Plaza at one and half times the base rate for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
km 3.500 (near Tendua village in Gorakhpur district)	31.295

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/tunnel(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge (in Rupees Crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
km 3.500 (near Tendua village in Gorakhpur district)	0.975 Km	Rs 58.65 Crore

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 200.00 (Two Hundred Only) for the year 2012-13 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 600.24 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/684/10-11/CO/GC-Gorakhpur Bypass]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.